अपराध | सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपी, व्यापारियों ने मंडी का गेट बंद कर किया प्रदर्शन

मंडी में दिनदहाड़े लुटेरों ने 19 लाख लूटे

नवभारत, जबलपुर। विजयनगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में स्कूटी सवार लुटेरे ने 19 लाख रुपए लूट लिये। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। नाराज अनाज व्यापारियों ने मंडी का गेट बंद करते हुए पुलिस-प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।

जानकारी के मुताबिक गल्ला व्यापारी मटोरी लाल गुप्ता ने कर्मचारी विकास साहू को 19 लाख रुपए का चेक दिया था। बुधवार दोपहर कर्मचारी चेक क्लियर करवाकर एचडीएफसी बैंक से 19 लाख रुपए की रकम निकालकर वापस मंडी की ओर लौट रहा था। वह जैसे ही मंडी परिसर तक पहुंचा तभी स्कूटी से पहुंचे बदमाशों ने रोककर मारपीट कर 19 लाख रुपए से भरा लेकर भाग गए। जब इसकी खबर व्यापारियों को लगी तो आक्रोश भड़क गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर अंजाम आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सुरक्षा नदारद, अपराधी बेखौफ

व्यापारियों का आरोप है कि यहां पुलिस गश्त नहीं करती है जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है इसके अलावा मंडी सचिव को समय पर टैक्स देते हैं लेकिन सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। चोरी, लूट के साथ शराबखोरी हो रही है। व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर कई बार मंडी प्रशासन को लिखित में शिकायत भी दी की गई लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई।

शहर में नाकाबंदी संदेहियों से पूछताछ

एएसपी आयुष गुप्ता, विजय नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार सिंह बल के साथ मौके पर पहुंचे इसके साथ ही लुटेरों कीतलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। संदेहियों से भी पूछताछ की जा रही है।

करीबियों पर शक की सुई

इस लूट कांड में करीबियों पर शक की सुई घूम रही है। वारदात रैकी के बाद होने की भी आशंका है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है।

अगली सूचना तक मण्डी में नहीं होगी नीलामी : सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव ने आदेश जारी किया कि कृषि उपज मण्डी समिति में नीलामी का कार्य आज 20 नवम्बर से आगामी सूचना तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस घटना के बाद, जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ ने मण्डी प्रशासन को सूचित किया है कि व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है और वे तब तक नीलामी में भाग नहीं लेंगे जब तक कि लूट के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते।

इनका कहना है

19 लाख रुपए लूटे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसके आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। संभावित ठिकानों पर तलाश चल रही है। क्राइम ब्रांच समेत थाना पुलिस की टीम गठित कर दी गई है।

बी.एस गौठरिया
सीएसपी

राददुविवि कुलगुरु वर्मा की नियुक्ति को चुनौती

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरू प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की नियुक्ति को कटघरे में रखते हुए चुनौती दी गई है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् राज्य शासन, कुलसचिव व कुलगुरू को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसारी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रो. राजेश कुमार वर्मा की कुलगुरु पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएँ एवं उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 की धारा के प्रतिकूल है। यूजीसी विनियम में स्पष्ट है कि कुलगुरु वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जो सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा संस्था के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो तथा जिसके पास किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों का आचार्य (प्रोफेसर) के रूप में अनुभव हो। आवेदक की ओर से कहा गया कि प्रोफेसर वर्मा का समस्त सेवाकाल केवल शासकीय महाविद्यालय में व्यतीत हुआ है, जो न तो विश्वविद्यालय माना जाता है और न ही उन्हें किसी राष्ट्रीय, शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन के बराबर माना गया है। इस कारण वे कुलगुरु पद की अनिवार्य पात्रता पूरी नहीं करते। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली कंपनी की जेसीबी जब्त

8,600 वर्गफुट भूमि अवैध कब्जे से मुक्त, ग्रामीणों को मिली राहत

जबलपुर। जिले की जबलपुर तहसील के ग्राम घुंसौर में निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी निकालने और सड़क बनाने के मामले में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्यवाही की। नायब तहसीलदार रविन्द्र पटेल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 8,600 वर्गफुट शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और मिट्टी निकालने में प्रयुक्त जेसीबी मशीन को जब्त कर तिलवारा थाना के सुपुर्द किया गया।

ग्रामीणों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

ग्रामीणों की ओर से मिली शिकायत में कहा गया कि जेएमडी एंटरप्राइजेज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ग्राम घुंसौर के खसरा नंबर 22 और 24 की शासकीय भूमि पर कब्जा कर मिट्टी निकालना शुरू कर दिया था। साथ ही, कंपनी के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को डराकर-धमकाकर आम रास्ता बंद कर जबरन सड़क बनाई।

सतई आदिवासी की भूमि पर भी अवैध कब्जा

जाँच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने सतई आदिवासी पिता शिवराज गोंड की निजी भूमि पर भी कब्जा कर गेट लगा दिया था। नायब तहसीलदार ने बताया कि इस भूमि पर गेट लगाने का कंपनी को कोई अधिकार नहीं था।

वैधानिक कार्रवाई जारी

नायब तहसीलदार रविन्द्र पटेल ने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी निकालने और सड़क बनाने के इस मामले में वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध कब्जा मुक्त कराने की इस कार्रवाई से ग्रामवासियों को न्याय और राहत मिली है।

दो मासूमों की मौत के चार गुनहगारों पर एफआईआर दर्ज

लापरवाही से गई थी जानें दुर्गा समिति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वेंडर लाइनमेन बने आरोपी

जबलपुर। तिलवारा थाना के अंतर्गत बरगी हिल्स में 24 सितम्बर की रात्रि दुर्गा पंडाल के बाहर सडक़ पर विद्युत साज सज्जा के लिये लगाई गई झालर के तार से लोहे के पाइप के जरिये करंट के संपर्क में आने से दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस के साथ जिला प्रशासनिक टीमों ने जांच की।

जिसमें यह बात सामने आई कि लापरवाही के चलते हादसा हुआ था और दो मासूमों की जान चली गई थी। मामले में तिलवारा पुलिस ने चार गुनहगारों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसमें दुर्गा समीति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वेंडर लाइनमेन को आरोपी बनाया गया है।

क्या था मामला

विदित हो आयुष झारिया पिता आशीष झारिया निवासी गणेश मंदिर के पास बरगी हिल्स एवं बेद श्रीवास 10 वर्ष पिता विपिन श्रीवास 40 वर्षीय निवासी बरगी हिल्स दोनों खेल रहे थे तभी खेलते समय बिजली का पाईप पकड़ लिया करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई थी ।कलेक्टर के आदेश पर तीन सदस्यीय टीम ने हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है समेत अन्य बिन्दुओं पर जांच की।

ये मिली लापरवाही

सम्पूर्ण जांच पर पाया गया है कि दुर्गा समिति के अध्यक्ष श्रीमती संगीता दिवाकर, कोषाध्यक्ष संजय अर्सिया, दुर्गा पंडाल सजावट के लिए वेंडर मोहित चौहान (राजू डेकोरेरटर्स) एवं मप्रपूक्षेविविकंलि जबलपुर के लाइनमेन राजकुमार काछी के द्वारा दुर्गात्सव समिति रानी अवंतीबाई लोधी सागर परिजोयना में दुर्गात्सव के दौरान साज सज्जा के लिए लाइटिंग के कार्य में उतावलेपन एंव उपेक्षापूर्ण व सौंपे गये कार्य में लापरवाही पूर्वक कार्य, घटना स्थल पर संभावित घटना को रोकने में पर्याप्त सावधानी न रखना व कार्य में विद्युत चोरी करना पाया गया है।

अब बालाघाट भेजी जाएगी जबलपुर की धान

▶ पिछले बड़े घोटालों के बावजूद फिर शुरू हुई अंतर-जिला मिलिंग प्रक्रिया

नवभारत, जबलपुर। नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय ने एक बार फिर अंतर-जिला मिलिंग की अनुमति जारी कर दी है। जबलपुर जिले के विभिन्न वेयरहाउसों में करीब 17 लाख क्विंटल धान भंडारित है, जिसे अब 185 किलोमीटर दूर बालाघाट की राइस मिलों में प्रोसेस किया जाएगा।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछले वर्ष अंतर-जिला परिवहन में घोटाला सामने आया था, जिसमें कार और मोटरसाइकिल से करोड़ों का धान परिवहन दिखाया गया। इस मामले में कई अधिकारी जेल भी गए, जबकि जिले के 45 राइस मिलर अब भी कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं, जिन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

क्या वास्तव में धान पहुंचेगी बालाघाट तक

अंतर-जिला मिलिंग बढ़ने से धान की रीसाइकलिंग और हेराफेरी का खतरा बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि जबलपुर की धान वाकई बालाघाट तक पहुंचती है या रास्ते में ही स्थानीय स्तर पर खप जाती है। विभाग की निगरानी और ट्रैकिंग पर सवाल फिर खड़े हो गए हैं।

परिवहन में ओवरलोडिंग पर सख्ती जरूरी

निगम और भारतीय खाद्य निगम के अनुसार धान परिवहन के दौरान ओवरलोडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम है कि ओवरलोड पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन पिछले वर्षों में इन निर्देशों की खुली अवहेलना हुई और परिवहनकर्ताओं को भुगतान मिलता रहा। इस बार जब निगम 185 किमी तक का परिवहन शुल्क दे रहा है, ऐसे में ओवरलोड और अंडरलोड पर सख्त पालन आवश्यक है। क्षमता से ज्यादा माल भेजने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय होनी चाहिए।

जबलपुर अजमेर ट्रेन प्रभावित

जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य फेज 2 के अन्तर्गत विभिन्न तकनिकी कार्यो हेतु ब्लॉक लिया गया, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसमें गाडी संख्या 12181, जबलपुर-अजमेर रेलसेवा 21 नवम्बर से 08 दिसम्बर तक सवाई माधोपुर तक संचालित होगी। अर्थात् यह रेलसेवा सवाई माधोपुर-अजमेर के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी। गाडी संख्या 12182, अजमेर-जबलपुर रेलसेवा 22 से 09 दिसम्बर तक अजमेर के स्थान पर सवाई माधोपुर से प्रस्थान करेगी। अर्थात् यह रेलसेवा अजमेर-सवाई माधोपुर के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी।

गोकलपुर- ब्यौहारबाग में अवैध अतिक्रमण हटाये गये

नवभारत, जबलपुर। बुधवार को भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई जारी रही। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर गोकलपुर से दर्शन तिराहा होते हुए संभाग क्रमांक 10 तक, अनवर गंज का बाड़ा और ब्यौहार बाग, कृष्णा मार्केट, कल्चरल स्ट्रीट तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी और मुनादी भी कराई गयी।

कार्रवाई के संबंध में अपर आयुक्त अरविन्द शाह, अतिक्रमण अधिकारी मनीष तड़से एवं सहायक

अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया ने बताया कि बुधवार को गोकलपुर से दर्शन तिराहा होते हुए संभाग क्रमांक 10 तक, अनवर गंज का बाड़ा और व्यौहार बाग, कृष्णा मार्केट, कल्चरल स्ट्रीट तक अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही और जगह जगह मुनादी की गई कि आगे से अतिक्रमण न करे अन्यथा कि स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक और चालानी कार्रवाई की जाएगी।

जेठ ने की छेड़छाड़, कपड़े फाड़े जेठानी व ननंद के साथ मिलकर पीटा

जबलपुर। अधारताल न्यू कंचनपुर शारदा कॉलोनी में रहने वाली महिला के साथ जेठ ने छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने के बाद जेठानी व ननंद के साथ मिलकर मारपीट कर धमकाया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय निवासी न्यू कंचनपुर शारदा कालोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 03 माह पहले 5 अगस्त 2025 को दोपहर में जेठ सुभाष वर्मा ने अचानक बुरी नियत से बाल पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। कपड़े को फाड़ दिया।आवाज देकर अपनी दूसरी पत्नी अमीता वर्मा और तलाकशुदा बहन मीनू को तेज आवाज में चीखकर बुलाया। उसके हाथ पकडे उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिये इसके बाद जेठ सुभाष ने लात मारी, जिससे उसे 12 दिन दर्द रहा इसके बाद तीनो मिलकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जेठ सुभाष व उसकी पत्नि अमीता व ननंद मीनू उसे प्रताड़ित करते रहते है।

मालवाहक वाहनों में मजदूरों की ढुलाई पर रोक

सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सतर्क, नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। मटर तुड़ाई के सीजन में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों को खेतों तक पहुँचाने के लिए मालवाहक वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। पिकअप, मिनी ट्रक और ऑटो लोडर जैसे लोडिंग वाहनों में सवारियों को ठूंसकर ले जाने की इस खतरनाक प्रवृत्ति पर परिवहन विभाग ने अब पूरी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में लोडिंग वाहनों में मानव परिवहन की अनुमति नहीं है। यह मोटर

वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है, और ऐसे वाहन चालकों, मालिकों व ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने किसानों और ठेकेदारों से अपील की है कि मजदूरों की ढुलाई के लिए केवल अधिकृत यात्री वाहनों का ही उपयोग करें। साथ ही मजदूरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोडिंग वाहनों में सफर करने से इनकार करें।

वाहन होगा जब्त लगेगा भारी जुर्माना

आरटीओ ने बताया कि हाल ही की निरीक्षण कार्रवाई में कई मालवाहक वाहनों में मजदूरों को असुरक्षित तरीके से ले जाते पाया गया, जिन पर चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन में दुर्घटना रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई वाहन चालक या मालिक मजदूरों को मालवाहक गाड़ियों में बैठाकर ले जाता पाया गया, तो भारी जुर्माने के साथ वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

इनका कहना है

मटर तुड़ाई के लिए लोडिंग वाहनों पर मनाही है, इसके अलावा विभाग द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है, जहां भी ऐसे वाहन पाए जाते हैं, उन पर तुरंत ही चालानी कार्रवाई की जा रही है।

जितेंद्र रघुवंशी, आरटीओ

रिटायर्ड महिला प्रोफसर से भेदभाव रवैये पर कोर्ट सख्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न होने के मामले को सख्ती से लिया। जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन व रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आरके बघेल को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये है। यह अवमानना का मामला याचिकाकर्ता रादुविवि से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. अंजना शर्मा की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व रितिका गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग व रादुविवि प्रशासन का रवैया मनमाना है। दोनों भेदभावपूर्ण रीति-नीति का परिचय दे रहे हैं। डॉ. शर्मा 30 अप्रैल 2021 को बायोसाइंस विभाग से रिटायर हुई थीं। तब से लेकर अब तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन व ग्रेच्युटी आदि प्रदान नहीं किए गए। अभ्यावेदन का असर न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने 22 नवंबरए 2024 को याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण किया था कि राज्य शासन व विवि तत्काल पेंशन आदि जारी करें। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जालसाजी | अधारताल थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

भवन की पावर ऑफ एटर्नी अपने नाम कर 30 लाख की संपत्ति बेची

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत कुदवारी महाराजपुर स्थित 30 लाख रुपए के भवन की जालसाजी करते हुए पावर ऑफ एटर्नी अपने नाम कराकर 30 लाख की संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोह. शमीम मंसूरी पिता सलाउद्दीन मंसूरी 46 वर्ष निवासी गोहलपुर ने शिकायत की कि उसका भवन कुदवारी महाराजपुर पनागर नया वार्ड क्र.-74, में कुल रकबा 0.400 हे. में से 1283 वर्गफुट है यह भूमि रईस अहमद अंसारी से 22 जून 2020 में उसने अपने नाम मो. शमीम मंसूरी व पत्नी शबीना मंसूरी के नाम क्रय कर रजिस्ट्री कराई थी। पैसो की आवश्यकता होने पर मकान बेचने का विचार किया और अपने दोस्त बलवीर यादव निवासी पटेल नगर अधारताल में रहते है उनसे मैने मकान बेचने के संबंध में चर्चा किया तब उन्होंने रोहित यादव से मिलाये और 30,00000 रूपये में मकान बेचने के लिये रोहित यादव ने मोहित तिवारी से बात कराया एवं सौदा तय हो गया। तब मैंने रोहित यादव को अपने मकान की रजिस्ट्री की छायाप्रति जनवरी 2023 में दिया। इसके बाद रोहित यादव द्वारा उसका एवं पत्नी का पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं नक्शा खसरा की नकल देने के लिये बोला तब रोहित यादव के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दिया। रोहित यादव और मोहित तिवारी आज कल मे काम हो जाने का आश्वासन देते रहे।

गड़बड़झाला कर 20 लाख का लोन उठाया

शिकायतकर्ता के मुताबिक बैंक में संपर्क करने मैनेजर से चर्चा उपरांत कम्प्यूटर ओपन कर उसे उसके भवन की फोटो दिखाई एवं आधारकार्ड, पेन कार्ड उसका एवं उसकी पत्नी का दिखाया लेकिन फोटो किसी अन्य पुरुष एवं महिला की लगी हुई है। हस्ताक्षर भी हम लोगों के नही है एवं लोन की राशि के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि आपने किसी प्रकाश नामदेव को भवन का पावर ऑफ एटर्नी दिया है इसी आधार पर लोन का पेमेन्ट 20 लाख प्रकाश नामदेव को दिया गया है जबकि उसने किसी भी व्यक्ति को भवन की पावर ऑफ एटर्नी नहीं दी है न किसी प्रकार का संपत्ति के संबंध में अनुबंध किया है।

जब रोहित यादव, मोहित तिवारी से उक्त लोन के संबंध मे संपर्क किया तब उन लोगो ने बोला की हां लोन फायनेंस कराया है। जबकि उसने किसी भी व्यक्ति को भवन की पवर ऑफ एटर्नी नहीं दी है न किसी प्रकार का संपत्ति के संबंध में अनुबंध किया है। धोखाधड़ी कर पवर ऑफ एटर्नी अपने नाम कराकर उसकी संपत्ति का विक्रय किया है।

इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज

शमीम मंसूरी से दस्तावेज लेकर उक्त दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर एक राय होकर रोहित यादव, मोहित तिवारी, प्रकाश नामदेव एवं नवीन तिवारी द्वारा लाभांश प्राप्त कर छल के प्रयोजन से धोखाधड़ी करना पाये जाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

करेली से जबलपुर आया 28 बंडल वायर चोरी

जबलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में करेली से जबलपुर आया 28 बंडल वायर चोरी हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पंकज शर्मा निवासी आमनपुर कालीमठ मंदिर के पास थगढा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वायर एण्ड केबल कंपनी में सेल्स का काम करता है। करेली जिला नरसिहपुर से अपने डीलर द्वारा 28 बंडल वायर जबलपुर मंगवाया था। वायर के बंडल पारस ट्रेडिंग कंपनी को देने बुलवाया था जो डीलर ने करेली से जबलपुर के लिये नर्मदा ट्रांसपोर्ट से भेजा था। उक्त भेजी गयी वायर के बारे में जानकारी मिली कि नर्मदा ट्रासपोर्ट में आया है जहां गया ट्रांसपोर्ट वाले उसके नाम की उक्त भेजे हुये वायर के एक कार्टून एवं एक बोरी प्राप्त किया। फिर ट्रांसपोर्ट के सामने एक व्यक्ति मिला जिससे बातचीत किया जिसने कहा उसके पास आटो है। उसने उक्त व्यक्ति को पारस ट्रेडिंग कंपनी जो त्रिपुरी चौक भेजने की बात हुई थी जिसने बोला ठीक है मैं भिजवा दूंगा। इतना कहकर वह ट्रांसपोर्ट के मैनेजर से पर्ची लेने के लिये अंदर गया. वापस आया तो वायर के कार्टून एवं बोरी नही मिली।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57